# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
# (पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्याः 13/2025

**प्रार्थी/अपीलार्थी**

पंकुदेवी पुत्री जेठाराम जी पत्नी स्व. रूपाराम जी, जाति–वागरी, निवासी–डोडुआ, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

**अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण**

1. दोना उर्फ कानिया पुत्र स्वर्गीय जेठाजी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
2. मोहनलाल पुत्र भीखा जी, जाति–वागरी, निवासी वेलांगरी, तह. व जिला सिरोही
3. मंजु पत्नी छगनलालजी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तह. व जिला–सिरोही
4. विष्णु पुत्र छगनलाल जी, जाति– वागरी, नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता मंजु पत्नी छगनलाल जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तहसील व जिला सिरोही
5. सोनु पुत्री छगनलाल, कुदरती वलीया माता मंजुदेवी पत्नी छगनलाल जी, जाति– वागरी, निवासी–वेलांगरी, तहसील व जिला–सिरोही
6. सुरेश पुत्र सदाराम जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी तह. व जिला सिरोही
7. अशोक पुत्र सदाराम जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तह. व जिला सिरोही
8. रमेश पुत्र सदाराम जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी, तह. व जिला सिरोही
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 08/2022
निर्णय दिनांक 22–04–2025

**"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"**
**"पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 47 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता"**

**उपस्थितिः**

1. अधिवक्ता श्री प्रदीप कलावन्त, प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 9 (नौ) की ओर से

**–: निर्णय :–** दिनांक 27 जनवरी, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनवान के अपील प्रकरण, राजस्व अपील संख्या 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22–04–2025 के पुनर्विलोकन हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि पर 02–7–2025 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 6 से 8 उपस्थित हुये, लेकिन उसके बाद इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 6 से 8 उपस्थित नही हुये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान, नियत सुनवाई तिथि 25–7–2025 को अप्रार्थी संख्या 3 से 5 उपस्थित हुये, लेकिन उसके बाद इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर अप्रार्थी संख्या 3 से 5 भी उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्याः 9 (नौ) की ओर से प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव भी प्रस्तुत नही हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता/पति व पूर्व रसाधिकारी स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वाला जी वागरी, निवासी– वेलांगरी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम गुआरीखेडा, पुराना पटवार हल्का कृष्णगंज, वर्तमान पटवार हल्का वेलांगरी में आई हुई है, जिसके खाता संख्या नया 238 पुराना 255 खसरा संख्या 125 रकबा 0–0200 हेक्टेयर किस्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 126 रकबा 1–7600 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 127 रकबा 0–7100 बारानी 3 कुल किता 3 रकबा 2–4900 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय जेठा पुत्र वाला जी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी का 1/5 हक हिस्सा होता है। इस प्रकार, अपीलार्थी अपने हक हिस्से अनुसार मौके काबिज होकर काश्त कर रही है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 भी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वालाजी वागरी के वारिसान में उनकी पत्नि कदकी एवं पुत्र सदाराम, भीखाराम, रावा, कानिया उर्फ दोना व लाला है व पुत्री पंकुदेवी है, जिनमें से लाला की नाऔलाद मृत्यु हो गई थी। प्रार्थी अपीलार्थी के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पूर्व रसाधिकारी जेठा जी पुत्र वाला जी वागरी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, कृष्णगंज द्वारा स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वाला जी वागरी की उक्त खातेदारी कब्जे–काश्त की कृषि भूमि के संबंध में स्वर्गीय जेठाजी के पुत्र सदाराम, भीखाराम, रावा, कानिया उर्फ दोना एवं जेठाजी की पत्नि कदकी के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 279 दायर किया गया, जो नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 23–5–1989 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें पटवारी हल्का, कृष्णगंज ने अपीलार्थी पंकु का नाम दर्ज नही किया है एवं नायब तहसीलदार, सिरोही ने भी उक्त नामान्तरकरण को मृतक खातेदार जेठाजी पुत्र वालाजी वागरी के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही स्वीकृत किया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई एवं अपील में अंकित कथनों के समर्थन में मृतक खातेदार जेठा पुत्र वाला जी की प्रार्थी अपीलार्थी जायन्दा पुत्री होने के संबंध में प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ भामाशाह कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई, लेकिन इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 22–4–2025 के द्वारा अपीलार्थी पंकुदेवी की अपील को इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलार्थी ने मृतक खातेदार जेठा पुत्र वाला जी की जायन्दा पुत्री होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही है, जबकि अपीलार्थी ने भामाशाह कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के भामाशाह कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति पर गौर किये बिना ही अपीलार्थी को मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्री नही होना मानकर अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा अपील पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। यह कि प्रार्थी अपीलार्थी पंकुदेवी भी मृतक खातेदार स्वर्गीय जेठाजी पुत्र वाला जी वागरी की जायन्दा पुत्री है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पिता की सम्पति में पुत्र के समान पुत्री को भी हक अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की मंशा व विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विधिक प्रावधानों पर गौर किये बिना ही अपीलार्थी की अपील को खारिज करने का निर्णय पारित कर तथ्यों व विधि की भूल की गई है। अतः प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्याः 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22–4–2025

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी अपीलार्थी की अपील को भी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही को मृतक खातेदार जेठा जी पुत्र वालाजी वागरी, निवासी–वेलांगरी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में अपीलार्थी के नाम से 1/5 हक हिस्से का एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के पक्ष में उनके हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मृतक खातेदार जेठा पुत्र वालाजी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, कृष्णगंज द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 279 दायर किया गया, जो नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 23–5–1989 को स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध प्रार्थी अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22–4–2025 को खारिज की गई है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अपील पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम गुआरीखेडा, पुराना पटवार हल्का कृष्णगंज (वर्तमान पटवार हल्का, वेलांगरी) के खसरा संख्या 125 रकबा 0–0200 हेक्टेयर किस्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 126 रकबा 1–7600 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 127 रकबा 0–7100 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 कुल खसरे 3 रकबा रकबा 2–4900 हेक्टेयर भूमि के खातेदार जेठा पुत्र वाला जी, जाति–वागरी, निवासी– वेलांगरी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, कृष्णगंज द्वारा सदीया, भीखा, रावा, कोना पुत्रगण जेठा जी, जाति–वागरी एवं कदकी पत्नी जेठा जी, जाति–वागरी, निवासी–वेलांगरी के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 279 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 23–5–1989 को स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 23–5–1989 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी पंकु देवी द्वारा इस न्यायालय में अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या 08/2022 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–4–2025 के द्वारा अपीलार्थी की अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की गई है।

इस न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व अपील संख्या 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22–4–2025 में यह अंकित किया गया है कि "अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी पंकुदेवी, मृतक खातेदार जेठा जी पुत्र वाला जी वागरी, निवासी– वेलांगरी की जायन्दा पुत्री हो।" जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त मूल अपील पत्रावली में मृतक खातेदार जेठा जी पुत्र वाला जी वागरी, निवासी– वेलांगरी की अपीलार्थी पुत्री होने के संबंध में भामाशाह कार्ड की छाया प्रति, दिनांक 04–3–2022 को अपील के संलग्न फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत की गई थी जो मूल अपील पत्रावली में उपलब्ध है एवं इस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में भी भामाशाह कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। भामाशाह कार्ड में प्रार्थी अपीलार्थी पंकु देवी के पिता का नाम जेठाराम अंकित है, जबकि इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विवेचन में अपीलार्थी के भामाशाह कार्ड के संबंध में कोई उल्लेख नही किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्र के समान पुत्री को भी हक अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में तथ्यों एवं विधि की भूल हुई है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी अपीलार्थी के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके इस

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व अपील संख्या 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22–4–2025 को निरस्त करके प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को मृतक खातेदार जेठा पुत्र वाला जी के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उसके सभी विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करके उनके नाम से विधि अनुरुप पुनः नामान्तरकण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलार्थी, अर्न्तगत आदेश 47 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्याः 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22–4–2025 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी की अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम गुआरीखेडा, पुराना पटवार हल्का कृष्णगंज (वर्तमान पटवार हल्का, वेलांगरी) के खसरा संख्या 125 रकबा 0–0200 हेक्टयर किस्म गै.मु. चाह, खसरा संख्या 126 रकबा 1–7600 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 127 रकबा 0–7100 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 कुल खसरे 3 रकबा 2–4900 हेक्टेयर भूमि में मृतक खातेदार जेठा पुत्र वाला जी, जाति– वागरी, निवासी– वेलांगरी के दर्ज हक हिस्से के अनुसार व मृतक खातेदार जेठा पुत्र वाला जी, जाति– वागरी, निवासी– वेलांगरी के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करके उसके सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से विधि अनुरुप जांच कर पुनः नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करे। इस निर्णय को उक्त राजस्व अपील संख्या 08/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22–4–2025 का एक भाग समझा जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा मूल अपील पत्रावली के साथ नत्थी हो।

निर्णय आज दिनांक 27 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही